

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 148

दिनांक :- 8/3/22

मुकदमा नंबर 28 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
ओमाराम पुत्र अनूपाराम जाति जाट सभी निवासीयान कल्याणपुर तहसील पचपदरा		1. भलाराम पुत्र दुर्गराम 2. बस्तीराम पुत्र दुर्गराम 3. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी पचपदरा।

आदेश

दिनांक :- 8/3/22

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खीपलीखेड़ा पटवार हल्का मूलकी ढाणी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डोली तहसील कल्याणपुर में खसरा नंबर 1793/1202 रकबा 01.10 बीघा चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 149-153

दिनांक :- 8/3/22

1. तहसीलदार कल्याणपुर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली को पालना हेतु।
3. पटवारी क्षेत्र मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण ओमाराम वगैरह।
5. विप्रार्थीगण भलाराम वगैरह।



(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

